अनुदान संख्या 22 - रक्षा पेंशन
GRANT No. 22–DEFENCE PENSIONS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*26,00*	*20,23*	*–5,77*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	12451,74,00	12714,75,00	12714,70,00	–5,00
पूरक	Supplementary	263,01,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के *प्रभारित* भाग में, *2.50 लाख रु.* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष ''2071'' - ''पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

1. In the *charged* portion of the grant, *appropriation* of *Rs.2.50 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head “2071” - “Pensions and Other Retirement Benefits”.

2. अनुदान के स्वीकृत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

2. In the voted portion of the grant, savings/ excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2071'' पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Major Head “2071” Pensions and other Retirement Benefits				
मू.	O.	1245174.00	1271475.00	1271470.00	–5.00
पु.	R.	26301.00			

(I) ''रक्षा - सेना - छुट्टी नकदीकरण'' के अंतर्गत 31908.33 लाख रु. के मूल प्रावधान को मार्च, 2006 में 1326.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर

(I) Under “Defence - Army- Leave Encashment” – the original provision of Rs.31908.33 lakhs was augmented to Rs.33234.33

33234.33 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, सेवानिवृत्त होने वालों के खाते में कम छुट्टी जमा होने, जिसके परिणामस्वरूप छुट्टी नकदीकरण के प्रति कम अदायगी किए जाने के कारण 2930.13 लाख रु. (पूरक अनुदन सहित) की बचत हुई।

(II) ''रक्षा'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुईं:-

(का) ''नौसेना''-

(क) 'पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ''- 537.99 लाख रु. की बचत (30119.69 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) ''छुट्टी नकदीकरण''- 286.32 लाख रु. की बचत (2279.43 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें बजट अनुमान चरण पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या के प्रत्याशा से कम होने के कारण हुईं।

3. उपर्युक्त बचतें ''रक्षा'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) ''सेना - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ''- 2797.24 लाख रु. का अधिक व्यय (मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 15265.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 1124276.27 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पेंशनभोगियों की मृत्यु के बाद उनके जीवन-काल के बकाया और पेंशन के बकाया की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(II) ''वायुसेना - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ''- 1028.18 लाख रु. का अधिक व्यय (मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 9660.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 74231.63 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 1.1.2005 और 1.7.2005 से महंगाई राहत की उच्च दर की स्वीकृति दिए जाने और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रत्याशा से अधिक होने के कारण हुआ।

lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1326.00 lakhs in March, 2006. However, there was a saving of Rs.2930.13 lakhs (including supplementary grant) due to less leave at the credit of retirees resulting in less payment towards leave encashment.

(II) Under "Defence" - savings also occurred under the following heads:-

(A) "Navy"-

(a) "Pension and other Retirement Benefits"– saving of Rs.537.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.30119.69 lakhs); and

(b) "Leave Encashment"-saving of Rs.286.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2279.43 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less number of retirees than anticipated at budget estimates stage.

3. The above savings were partly offset by excess under "Defence" - under the following heads:-

(I) "Army - Pension and other Retirement Benefits" – excess of Rs.2797.24 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1124276.27 lakhs including supplementary grant of Rs.15265.00 lakhs obtained in March, 2006) was due to payment of life time arrears after death of pensioners and arrear of pension.

(II) "Air Force - Pension and other Retirement Benefits" – excess of Rs.1028.18 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.74231.63 lakhs including supplementary grant of Rs.9660.00 lakhs obtained in March, 2006) was due to sanction of higher rate of dearness relief w.e.f. 1.1.2005 and 1.7.2005 and more number of retirees than anticipated.